नंबर

अधिवक्ता का नाम

अधिकारी

...ायालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

...ल नं. 2/7/2021 तारीख रजू...........................

प्रीतम बनाम भूरीदेवी वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.01.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 408/701वाके ग्राम मोहनवास, तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 18.03.2021को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 18.03.2021को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
18.3.21	वकील प्रार्थी उपस्थित। अंतरिम आदेश दिनांक 14.1.21 की पालना में पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 28/6/21 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
28/6/21	...फुलाव कोरोना न०/P.C ...हृष Covid-19 ...। पत्रावली दिनांक 12/9/21 को पेश हो। [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम की तामील
10/6/14	पत्रावली पेश हुई। बहुलाम उभय गैरसायल को पाबन्द किये जाने से उसे किसी तरह का नुकसान व क्षति होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में साबित है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायल को ता फैसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 408/701 वाके ग्राम मोहनबाड़ा तहसील कठूमर में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 14.1.2014 को दावा के निर्णय तक कायम किया जाता है। अविलम्ब प्रथक से निषेधाज्ञा जारी किया। पत्रावली मीसल हुआ नम्बर से कम हो बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। सुनाया। ह० अप० उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/07/2021

वउनवान

1. प्रीतम पुत्र घीसा जाति गुर्जर निवासी हनुमानवास तहसील कठूमर जिला अलवर

सायल

बनाम

1. भौंरीदेवी पत्नी मुंशीराम जाति गुर्जर निवासी पाखर तहसील महवा जिला दौसा
2. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री गिरधारीलाल शर्मा एडवोकेट– अधिवक्ता सायल की ओर से

श्री कृपादयाल गुर्जर– अधिवक्ता गैरसायलसं0 1 की ओर से

आदेश दिनांक 10.06.2022

सायल द्वारा प्रस्तुतप्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 408/701 रकवा 0.25 हे. वाके ग्राम मोहनवास तहसील कठूमर में स्थित है। सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता घीसा के स्वर्गवास हो जाने पर विवादित आराजी बहिस्सा बराबर सायल सायल, तरतीवी प्रतिवादी सं0 3–4 व मृतक मां बत्तनदेवी को विरासत में प्राप्त हुई है। विवादित आराजी के 1/4 हिस्सा की खातेदार का तकार बत्तनदेवी पत्नी घीसाराम है जो सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण की मां है जिसका स्वर्गवास हो चुका है। बत्तनदेवी के स्वर्गवास हो जाने पर उसका 1/4 हिस्सा सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण को बहिस्सा बराबर विरासत में प्राप्त हुआ है। मृतक मां बत्तनदेवी के 1/4 हिस्सा पर सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व मौके पर कब्जे काश्त में है। सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण कई बर गैरसायल सं0 2 व उसके मातहत कर्मचारियान पटवारी/कानूनगौ हल्का के पास मृतक बत्तनदेवी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर उसका विरासत इन्तकाल

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

वहिस्सा बराबर अपने नाम खुलवाने वावत गये लकिन गैरसायल सं0 2 व इसके मातहत कर्मचारी मृतक मां बत्तनदेवी का विरासत इन्तकाल सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम खेलने की हां करते रहे लेकिन अव गैरसायल सं0 2 व इसके मातहत कर्मचारियान ने विरासत इन्तकाल खोलने से मना कर दिया। अतः सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण विवादित आराजी से मृतक खातेदार बत्तनदेवी का नाम कलमजन कराकर सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम 1/4 हिस्सा की खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है। गैरसायलान का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है।लेकिन गैरसायल सं0 1 चतुर व चालाक किस्म की महिला है जिसने सायल को धमकी दी कि मैं धर्मसिंह पुत्र रामपाल की लडकी हूँ अव मैं विवादित आराजी पर तुम्हें शांति पूर्वक काश्त नहीं करने दूँगी जवरन वेदखल कर मैं खुद कब्जा करूँगी तथा प्रतिवादी सं0 2 से मिलकर विवादित आराजी में मृतक बत्तनदेवी का विरासत इन्तकाल अपने नाम खुलवाउँगी जवकि धर्मसिंह लाबल्द विला औरत फौत हुआ है। जिसका कोई पुत्र पुत्री संतान पैदा नहीं हुई है। गैरसायला का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गैरसायला का मृतक बत्तनदेवी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गैरसायला सं0 1 गैरसायल सं0 2 से मिलकर मृतक बत्तनदेवी का विरासत इन्तकाल दर्ज कराकर दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा दूँगी। जवकि सायला को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है यदि गैरसायला अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गई तो सायल को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायलसं0 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 408 रकवा 1.12 हे. पूर्ण ग्राम रीझवास में स्थित थी वाद में मोहनवास नया रेवन्यु विपेज बनने से अलगहुआ है जो आराजी सायला के पिता धर्मसिंह पुत्र रामपाल के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जिस आराजी पर सायला के पिता धर्मसिंह काविज रहकर काश्त करते थे। सायला के कोई भाई नहीं था यानि धर्मसिंह के कोई पुत्र नहीं था। सायला ही एक मात्र पुत्री वारिस थी। सायलाके पिता के फौत हो जाने पर मृतकपिता का विरासत इन्तकाल संख्या 68 वाके ग्राम रीझवास गैरसायला के हक में दिनांक 25.09.1977 को स्वीकार किया। जिस इन्तकाल में गैरसयला के हक में मृतक पिता

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

धर्मसिंह को लाबल्द फौत बताकर इन्तकाल संख्या 68 छुटटन व घीसा व रामहंस के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर स्वीकार कर दिया। उक्त इन्तकाल सायला को विना सुनाये विना बताये एकपक्षिय रूप से विधि विरूद्व फैसल किया है। जो इन्तकाल प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिता के फौत हो जाने पर उसका विरासत इन्तकाल उसके जीवित पुत्र पुत्री के नाम फैसल किया जाता है। जवकि गैरसायला के पति एंव पिता रामहंस घीसा को यह जानकारी थी कि गैरसायला मृतक धर्मसिंह की वारिस उसकी पुत्री अपीलाण्ट जीवित है सरपंच ने जान वूझ कर सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों केआधार पर अपने व अपने भाईयों के पक्ष में वहिस्सा बराबर फैसल करा लिया। जो निर्णय ग्राम पंचायत जहाडू का गलत है। सायल का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना कब्जा है।सायल को किसी तरह का नुक ान व क्षति नहीं होती है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायलने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2075 वाके ग्राम मोहनवासकी सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता के स्वर्गवास हो जाने पर वहिस्सा बराबर सायल, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3–4 व मृतक मां बत्तनदेवी को विरासत में प्राप्त हुई है विवादित आराजी के 1/4 हिस्सा की खातेदार का तकार बत्तनदेवी पत्नी घीसाराम है जो सायल की मां है जिसका स्वर्गवास हो चुका है। अतः सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण मृतक मां का नाम कलजन कराकर 1/4 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। गैरसायला का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। जो विवादित आराजी पर विना हक व अधिकार के सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करती है तथा मृतक बत्तन का विरासत इन्तकाल अपने नाम खुलवाना चाहती है जवकि गैरसायला को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायला ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी सायला के पिता धर्मसिंह पुत्र रामपाल के नाम खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी पर सायला के पिता धर्मसिंह काविज रहकर काश्त करते थे। सायला के पिता के

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

फौत हो जाने पर मृतक पिता का विरासत इन्तकाल संख्या 68 वाके ग्राम रीझवास गैरसायला के हक में दिनांक 25.09.1977 को स्वीकार किया। जिस इन्तकाल में गैरसयला के हक में मृतक पिता धर्मसिंह को लाबल्द फौत बताकर इन्तकाल संख्या 68 छुटटन व घीसा व रामहंस के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर स्वीकार कर दिया। उक्त इन्तकाल सायला को विना सुनाये विना बताये एकपक्षिय रूप से विधि विरूद्व फैसल किया है। जो इन्तकाल प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिता के फौत हो जाने पर उसका विरासत इन्तकाल उसके जीवित पुत्र पुत्री के नाम फैसल किया जाता है। जवकि गैरसायला के पति एंव पिता रामहंस घीसा को यह जानकारी थी कि गैरसायला मृतक धर्मसिंह की वारिस उसकी पुत्री अपीलाण्ट जीवित है सरपंच ने जान वूझ कर सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों केआधार पर अपने व अपने भाईयों के पक्ष में वहिस्सा बराबर फैसल करा लिया। जो निर्णय ग्राम पंचायत जहाडू का गलत है। सायल का विवांदित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना कब्जा है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व जवाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पुर्ति होने वाली क्षति को सावित करने का भार सायल पर है। पत्रावली के साथ संलग्न जमाबन्दी हाल में विवादित आराजी करणसिंह, पीतमसिंह, बत्तनदेवी व सम्पतराम की खातेदारी में दर्ज है। बत्तनदेवी सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण की मां है जिसका स्वर्गवास हो चुका है हिल्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मृतक बत्तनदेवी के नाम दर्ज आराजी उसके पुत्र सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण को मिलेगी। सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण विवादित आराजी के खातेदार का तकार है। गैरसायला ने विवादित आराजी को अपने पिता धर्मसिंह की खातेदारी की होना व अपने आपको मृतक पिता धर्मसिंह की एक मात्र वारिस बताया है। इन्तकाल संख्या 68 वाके ग्राम मोहनवास गलत रूप से सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण ने ग्राम पंचायत से मिलकर स्वीकार कराना कथन किया है। लेकिन सायला ने अपने कथनों की पुश्टि में किसी तरह का प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। विवादित आराजी पर सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा प्रतीत होता है। यदि गैरसायला को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायला सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से वेदखल कर सकती है व मृतका का विरासत इन्तकाल अपने नाम स्वीकार करा सकती है जिससे सायल को अपार

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

हानि व असुविधा संभव है। गैरसायला को पाबन्द किये जाने से उसे किसी तरह का नुकशान व क्षति होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 408/701 वाके ग्राम मोहनवास तहसील कठूमर के रेकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 14.01.2021 को दावा के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 10.06.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)